(16)

संख्या बी- 3-6234/दस-89-4(1)/89-कम्प्यूटर

प्रेषक,

श्री नवीन चन्द्र वाजपेई,
वित्त सचिव,
(व्यय-नियंत्रण),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 7 दिसम्बर, 1989

विषय : --राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय करने के लिए अग्रिम।

महोदय,

वित्त (आय-व्यय क) अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-245 द्वारा राज्य कर्मचारियों को मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किये जाने के अधिकार प्रतिनिहित किये गये हैं। समुचित विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में राज्य कर्मचारियों को, जो मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र हों, मोटरकार अग्रिम की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय करने के लिए 45,000 रुपये तक अथवा कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य (सीमा शुल्क छोड़कर, यदि कोई हो) जो भी सबसे कम हो, की धनराशि का अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

2--राज्य कर्मचारियों को मोटरकार अथवा व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम तभी स्वीकृत किया जाय जब उसके द्वारा पूर्व में लिये गये मोटरकार अथवा व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की वसूली ब्याज सहित कर ली गई हो।

3--जिन राज्य कर्मचारियों को पूर्व में मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किया गया हो उन्हें व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब मोटरकार अग्रिम लेने की तिथि से कम से कम चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो। उसी प्रकार ऐसे कर्मचारियों को मोटरकार अग्रिम तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम लेने की तिथि से कम से कम चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो।

4--व्यक्तिगत कम्प्यूटर पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिये कोई अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5--राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की वसूली उसके वेतन से अधिकतम 150 मासिक किस्तों में की जायेगी।

6--स्वीकृत किये जाने वाले व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज की दर वही रहेगी जो शासन द्वारा समय-समय पर मोटरकार अग्रिम पर निर्धारित की जाती है।

7--राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की धनराशि के आहरण से पूर्व संलग्न प्रपत्र संख्या 25-ए में अनुबन्ध-पत्र भरना होगा तथा अग्रिम स्वीकृति के एक माह के अन्दर कम्प्यूटर क्रय कर उसे संलग्न प्रपत्र संख्या 25 में "राज्यपाल उत्तर प्रदेश" के पक्ष में बन्धक रखना होगा। अस्थायी राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर स्वीकृति की दशा में संलग्न प्रपत्र संख्या 25-सी में एक स्थायी कर्मचारी की जमानत देनी होगी जो अग्रिमी से पूर्व सेवा निवृत्त न हो।

8--यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

9--वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 में तदनुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,
नवीन चन्द्र वाजपेई,
वित्त सचिव,
(व्यय-नियंत्रण)।

संख्या बी-3-6234(1) / दस- 89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--महालेखाकार, प्रथम / द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2--महालेखाकार, प्रथम / द्वितीय (आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

4--विधान परिषद् तथा विधान सभा सचिवालय, ।

5--राज्यपाल सचिवालय ।

6--निबन्धक, उच्च-न्यायालय, इलाहाबाद ।

7--वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 5, भाग-1 में आवश्यक संशोधन हेतु ।

8--वित्त (नियम कोष्ठक) अनुभाग (दो अतिरिक्त प्रतियां) ।

आज्ञा से,
उमेश प्रसाद श्रीवास्तव,
बजट अधिकारी ।